न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-90/2018-19

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

भूपेश चन्द्र महतो बनाम सोहराई महतो

27.5.19

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – भूपेश चन्द्र महतो, पिता–स्व० गोपाल महतो, ग्राम–चैनपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, (राहे ओ०पी०) राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी।

क्रेता का नाम एवं पता – सोहराई महतो, पिता–स्व० बीरबल महतो, ग्राम–चैनपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, (राहे ओ०पी०) राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री विशेश्वर प्रसाद।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–30/05/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता सोहराई महतो, पिता–स्व० बीरबल महतो, ग्राम–चैनपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, (राहे ओ०पी०) राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैं:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
चैनपुर	सोनाहातु	76	09	140	25 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–109(ii) दिनांक–16/03/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम कांदन महतो वल्द बुचा महतो कौम कुरमी है।

(2) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम देवनाथ महतो वगैरह है।

(3) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2011–12 तक वसूली गयी है।

(4) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पौत्र है, तथा खतियानी के आधार जमाबंदी कायम है।

(5) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टाँड़–II किस्म की है।

(6) प्रस्तावित जमीन विक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास इस प्लॉट में 77 डी० भूमि शेष रह जाएगा।

(7) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को पुत्री की शादी मे खर्च हेतु विक्रय कर रहे है।

(8) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी महतो है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही ग्राम के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता भूपेश चन्द्र महतो, पिता–स्व० गोपाल महतो, ग्राम–चैनपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, (राहे ओ०पी०) राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, को क्रेता सोहराई महतो, पिता–स्व० बीरबल महतो, ग्राम–चैनपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, (राहे ओ०पी०) राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–12/06/2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता भूपेश चन्द्र महतो, पिता–स्व० गोपाल महतो, ग्राम–चैनपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, (राहे ओ०पी०) राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, को क्रेता सोहराई महतो, पिता–स्व० बीरबल महतो, ग्राम–चैनपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, (राहे ओ०पी०) राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
चैनपुर	सोनाहातु/76	09	140	29 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

27/05/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।

27/05/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।